संख्या– /VI/2019–21(15)/2016

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 28 जनवरी, 2019

विषयः– रोशनाबाद–हरिद्वार में प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम में निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–823/38वेंरा0ख0रोश0हरि0हॉकीटर्फनि0पत्रा0/2015–16/दे0दून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोशनाबाद–हरिद्वार में प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम में निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त, व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के क्रम में टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोंपरान्त संस्तुत **₹ 1703.00 लाख** ***(सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 752.66 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 950.34 लाख)*** की धनराशि में से भारत सरकार ने अपने पत्र संख्याः–33-142/MYAS/Khelo India/2017-I/3972-3977, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम के निर्माण हेतु *खेलों इण्डिया योजनान्तर्गत केवल हॉकी टर्फ हेतु ₹ 550.00 लाख पर सहमति प्रदान* करते हुये ***प्रथम किश्त*** के रूप में विभिन्न लेखाशीर्षकों में (₹ 1,96,02,500/–, ₹ 46,77,000/– एवं ₹ 7,20,000/–) इस प्रकार कुल *₹ 250.00 लाख* की धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होने के फलरूपरूप शासनादेश संख्या–739/VI/2018–21(15)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के द्वारा अवमुक्त करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में कुल प्राप्त धनराशि ₹ 550.00 लाख के सापेक्ष ₹ 250.00 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में एवं राज्य सरकार के द्वारा हॉकी स्टेडियम में केवल हॉकी टर्फ की नवीन लागत ₹ 774.02 लाख में से (₹ 550.00 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार से एवं ₹ 224.02 लाख की धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार से टर्फ हेतु) एवं टर्फ के साथ–साथ अतिरिक्त अन्य कार्यों को कराये जाने के दृष्टिगत इस प्रकार कुल ₹ 1153.00 लाख की धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के सापेक्ष ₹ 15.28 लाख की धनराशि ***प्रथम चरण के कार्य*** हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–629/VI/2016–21(15)/2016, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त इस प्रकार ***राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु द्वितीय चरण की किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 200.00 लाख (₹दो करोड़ मात्र)*** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की की ***"राज्यपाल महोदय"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के निहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि ***चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–11–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय–03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–26–38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष*** के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–128(M0)/XXVII(3)/2018–19, दिनांक 23 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :– अलाटमेंट आई0डी0 संख्या– S1901110367 **दिनांक** 28 **जनवरी, 2019**

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 39 **/VI/2018–21(15)/2016, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिला कीडाधिकारी, हरिद्वार।
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।